कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
16.1.19 आवेदक व वकील आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में पक्षकारान में राजीनामा होने से आगे नहीं चलाना चाहता प्रकरण को विड्रा करना चाहता का उल्लेख करते हुए पत्रावली पेश हुई। आवेदक का प्रकरण प्रत्याहत विड्रा करने का स्वीकार किया जाता है अतः आवेदक का प्रा० पत्र स्वीकार कर प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 16.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	प्रत्याहार पहचान [illegible] [illegible]